F.No. 15-85/1/NMA/HBL-2021 Government of India Ministry of Culture National Monuments Authority

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of public at large that the draft Heritage Bye-Laws of Centrally Protected Monument "Radhashyam Temple, Locality- Bishnupur, District-Bankura, West Bengal" have been prepared by the Authority, as per Section 20(E) of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958. In terms of Rule 18 (2) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the above proposed Heritage Bye-Laws are uploaded on the following websites for inviting objections or suggestions from the Public:


- i. National Monuments Authority www.nma.gov.in
- ii. Archaeological Survey of India www.asi.nic.in
- iii. Archaeological Survey of India, Kolkata Circle www.asikolkata.in
- 2. Any person having any objections or suggestion may send the same in writing to Member Secretary, National Monuments Authority, 24, Tilak Marg, New Delhi- 110001 or mail at the email ID hbl-section@nma.gov.in latest by 9th September, 2021. The person making objections or suggestion should also give his name and address.
- 3. In terms of Rule 18(3) of National Monuments Authority (Appointment, Function and Conduct of Business) Rules, 2011, the Authority may decide on the objections or suggestions so received before the expiry of the period of 30 days i.e. 9th September, 2021, consultation with Competent Authority and other Stakeholders.

(N.Ť.Paite) Director, NMA 11th August, 2021



भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY



राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जाला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye Laws for **Radhashyam Temple**, **Locality- Bishnupur**, **District-Bankura**, **West Bengal**

भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जािला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप-विधि जिन्हें "भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास" (इनटेक) के साथ परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियमावली, 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपित्त या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर आपितत या सुझाव, यदि कोई हो, को सदस्य सिचव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय), 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली के पास भेजा जा सकता है अथवा hbl-section@nma.gov.inपर ई-मेल किया जा सकता हैं।

उक्त प्रारूप उप-विधि के संबंध में किसी व्यक्ति से यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्ति या सुझावों पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप धरोहर उप -विधि अध्याय I प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः

- (i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक, राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जिाला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2021 कहा जाएगा।
- (ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।
- (iii) ये अधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.1 परिभाषाएं :

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -
 - (i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
 - (ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
 - (iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
 - (iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;
- (ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिकया पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-
 - (i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने
 या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए
 अपेक्षित हो, तथा
 - (ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;
- (ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषअधिनियम,1958 (1958 का 24) है;
- (घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्विवद् से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;
- (इ.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो: बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा

20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

- (छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वांकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों,मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिएनिर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;]
- (ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

- (झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;
- (ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सिहत "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के पिररक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;
- (ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-
 - (i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियाँ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा
 - (ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

- (ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब होती स्थिति की गति को धीमा करना है;
- (ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;
- (त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वांकार सीमाएंसमान हैं;
- (द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।
- (2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वहीं अर्थ होगा जैसा अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958

2.0 अधिनियम की पृष्ठभूमि : धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) प्रतिषिद्ध क्षेत्र, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) विनियमित क्षेत्र, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।


अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबिक ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमित से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमित सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

- 2.1 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध : प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, धारा 20 अौर प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष(धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011, नियम 22 में केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए पैरामीटर का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य निष्पादन) नियम, 2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप-विधियों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।
- 2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और पुनरुद्धार अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या पुनरुद्धार के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:
 - (क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का काम कराना चाहता है, जैसा भी स्थिति हो,ऐसी मरम्मत और पुनरुद्धार को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करसकता है।
 - (ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण,अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार का कार्य कराना चाहता है,जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुन:निर्माण अथवा मरम्मत अथवा पुनरुद्धार के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
 - (ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्य संचालन) नियम,2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

केंद्रीय संरक्षित स्मारक - राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल का स्थान एवं अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थितिः

- यह संस्मारक जी.पी.एस. निर्देशांक 23° 4'20.98"उत्तरी अक्षांश, एवं 87° 19'35.06"
 पूर्वी देशांतर पर स्थित है।
- स्मारक राजदरबार में बिष्ण्प्र के पूर्व में स्थित है।
- यहां राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) 14 (3.6 किमी. दक्षिण) के साथ-साथ एसएच 2 (2.1 किमी. उत्तर) से पहुंचा जा सकता है।
- बिष्णुपुर बस स्टैण्ड और बिष्णुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन स्मारक के दक्षिण-पूर्व के क्रमश:2.2 किमी. और 4.4 किमी. की दूरी पर है।
- नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता, नजदीकी हवाई अड्डा है, जो स्मारक के पूर्व में लगभग 137 किमी. की दूरी पर है।



चित्रः केंद्रीय संरक्षित स्मारक-राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल का स्थान एवं अवस्थिति को दर्शाने वाला अर्थोमोसाइक।

3.1 स्मारक की संरक्षित सीमाः

केंद्रीय संरक्षित स्मारक - राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल की संरक्षित सीमा को अनुलग्नक-। में देखा जा सकता है।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) के रिकार्ड (अभिलेखों) के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजनाः

यह स्मारक अधिसूचना संख्या 4063, दिनांक 18 अगस्त, 1993 के तहत 1913 में जोड़ बंग्ला, स्थान-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल के नाम से संरक्षित था। राजपत्र अधिसूचना को अनुलग्नक-।। में देखा जा सकता है।

3.2 स्मारक का इतिहासः

मंदिरका निर्माण चैतन्य सिम्हा (सिंहा) द्वारा 1758 शक संवत् में किया गया था। यह मंदिर बिष्णुपुर में प्राचीनतम मंदिरों में परवर्ती है, क्योंकि यह मल्ल राजा द्वारा निर्मित अंतिम मंदिर था। मंदिर को भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाता है। बगल में राधा एवं श्याम (भगवान कृष्ण) मंदिर है, मंदिर में नित्यानन्द एवं चैतन्य की मूर्तियां भी लगी हैं। यह लालजी मंदिर के दक्षिण में स्थित है, यह बहुत बड़े आबद्ध प्रांगण में है तथा इसका मुंह दिक्षण को है।

3.3 स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि) :

मंदिर एक-रत्न प्रकार का है। इसके निर्माण का माध्यम लैटेराइट है। मंदिर गोलाईदार छत के साथ वर्गाकार में बना है और एकल शीर्ष शिखर है। इसमें खुली खिड़िकयों के साथ दो गुम्बदनुमा बनावटें हैं, जो तीन मेहराबी प्रवेशद्वार के ऊपर हैं। यह नहाबतखाना (नौबत खाना)कक्षकी याद दिलाता है, जहां शहनाई बजाई जाती थी।

मंदिर इसके पच्च प्लस्तिरत (स्टुकोप्लास्टर्ड) दीवारों पर बनाई गई नक्काशीदार मूर्तिकला (रिलीफ स्कल्पचर्स) के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक वर्गाकार गोलाई वाली छत है, जिसमें एकल शिखर है और शीर्ष में लम्बी धारी की एक गुम्बद है। साजसज्जा में अरबस्क (अरब शैली) और ज्यामितीय पद्धित, अनंतसांई विष्णु की एक बड़ी प्रतिमा, कृष्ण-लीला के दृश्यों आदि का चित्रण शामिल है।

3.4 वर्तमान स्थितिः

3.4.1 स्मारक की स्थिति - स्थिति मूल्यांकन स्मारक के परिरक्षण की स्थिति अच्छी है।

3.4.2 प्रतिदिन आने वाले एवं कभी- कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्याे

इस स्थल में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या प्रतिदिन लगभग 250 है। सितम्बर मध्य से फरवरी मध्य के व्यस्ततम अवसर पर संख्या बढ़कर लगभग 700 प्रतिदिन हो जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई है

4.0 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

स्मारक बिष्णुपुर नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इस स्मारक के लिए राज्य सरकार के अधिनियमों एवं नियमों में क्षेत्रीकरण नहीं किया गया है।

4.1 स्थानीय निकायों के विद्यमान दिशानिर्देश/स्थितिः

इन्हें अन्लग्नक-III में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड (अभिलेख) में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध एवं विनयमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21(1) टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0 स्मारक की रूपरेखा योजनाः

राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल की सर्वेक्षण योजना को अन्लग्नक- IV में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषणः

- 5.1.1 वर्ग मी. में प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र तथा उनकी म्ख्य विशेषताएं:
 - संरक्षित क्षेत्र (लगभग):1902.02 वर्ग मी. (0.47 एकड़)
 - प्रतिषिद्ध क्षेत्र (लगभग):4876.46 वर्ग मी. (12.05 एकड़)
 - विनियमित क्षेत्र (लगभग) 284858.47 वर्ग मी. (70.39 एकड़)

मुख्य विशेषताएं:

स्मारक बिष्णुपुर के पूर्व में स्थित है जो जल निकायों से एवं प्रतिषिद्ध क्षेत्र में इसके उत्तर और दक्षिण में कुछ अन्य केन्द्रीय संरक्षित मंदिरों से घिरा है। विनियमित क्षेत्र के चारों ओर कम ऊँचाई के आवासीय एवं वाणिज्यिक निर्माण देखे जा सकते हैं। बिष्णुपुर किला, स्मारक के पश्चिम में स्थित है।

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्रः

- उत्तरः आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन एवं संस्थाएं, जो 2.73 मी. से 6.61 मी. की ऊँचाई के हैं; लालजी मंदिर (एएसआई संरक्षित), हवा महल, राजबारी, गार दर्जा पार्क, लालजी पार्क, राजबारी रोड़, नई राजबरी रोड़, सार्वजिनक शौचालय, हैण्डपम्प, विद्युत स्तंभ, प्रकाश स्तंभ तथा पेड़-पौधों के विकास के साथ खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं। इस क्षेत्र को मुख्यतया मनोरंजनात्मक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है।
- दक्षिणः आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन एवं संस्थाएं, जो 3.18 मी. से 9.05 मी. की ऊँचाई के हैं, जोड़ बंग्ला मंदिर (केंद्रीय संरक्षित स्मारक), महाप्रभु मंदिर, राजबारी रोड़, प्रकाश स्तंभ, विद्युत स्तंभ तथा पेड़-पौधों के विकास के साथ खुले स्थान इस दिशा में हैं।
- पूर्वः जल निकाय और पेड़-पौधों की वृद्धि के साथ खुला स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।
- पश्चिमः आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन एवं भवन, जो 0.26 मी. से 5.78 मी. की ऊँचाई के हैं, माँ मृणमयी मंदिर, हैण्ड पम्प, विद्युत स्तंभ, प्रकाश स्तंभ तथा जल निकाय इस दिशा में विद्यमान हैं।

विनियमित क्षेत्रः

- उत्तरः लालजी मंदिर (एएसआई द्वारा संरक्षित), पुराना किला द्वार (एसएसआई संरक्षित), लघु प्रस्तर प्रवेशद्वार (एएसआई संरक्षित), प्रस्तर रथ (एएसआई संरक्षित), आवासीय एवं व्यावसायिक, प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन एवं संरचनाएं, जो 0.91 मी. से 12.46 मी. की ऊँचाई के हैं; गार दर्जा न्यू पार्क, ट्रांसफॉर्मर, हैण्ड पम्प, विद्युत स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, जल निकाय और पेड़-पौधों की वृद्धि के साथ खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।
- दक्षिणः आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन जो 2 मी. से 9.49 मी. की ऊँचाई के हैं, गमघर, राजबारी रोड़, बिष्णुपुर, राजबारी मैदान,

विद्युत स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, और पेड़-पौधों की वृद्धि के साथ खुले स्थान तथा खाई/जल निकाय इस दिशा में विद्यमान हैं।

- दक्षिण-पश्चिमः श्याम राय मंदिर (एएसआई द्वारा संरक्षित), आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवन एवं संरचनाएं, जो 2 मी. से 9.49 मी. की ऊँचाई के हैं, के.जी. इंजीनियरिंग संस्थान, के.जी. इंजीनियरिंग संस्थान रोड, अर्थन रोड, जल निकाय, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत स्तंभ, प्रकाश स्तंभ, तथा पेड़-पौधों की वृद्धि के साथ खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।
- पूर्वः 2.82 मी. से 7.68 मी. की ऊँचाई में संरचनाएं, अर्थन रोड़, हैण्ड पम्प, कुंआ, टावर और पेड़-पौधों के विकास के साथ खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं। इस क्षेत्र को मुख्यतया आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है।
- पश्चिमः 2.29 मी. से 11.07 मी. की ऊँचाई के भवन, बिष्णुपुर किला, अर्थन रोड़, पक्की सड़क, विद्युत स्तंभ, संचार टॉवर, हैण्ड पम्प, ट्रांस्फॉर्मर, तालाब और और पेड़-पौधों के विकास के साथ खुला स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।

5.1.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्रः

- उत्तरः गर दर्जा (किले के दरवाजे) पार्क, लालजी पार्क, तालाब/जल निकाय और पेड़-पौधों के विकास के साथ खुले स्थान इस दिशा में हैं।
- दक्षिणः पेड़-पौधों के विकास के साथ खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।
- पूर्व: जल-निकाय और खुले स्थान पेड़-पौधों के विकास के साथ इस दिशा में विदयमान हैं।
- पश्चिमः जल-निकाय तथा पेड़-पौधों के विकास के साथ विशाल खुले स्थान इस दिशा में विदयमान हैं।

विनियमित क्षेत्रः

- उत्तरः गर दरजा न्यू पार्क, लालजी पार्क, तालाब/जल निकाय तथा पेड़-पौधों के विकास के साथ विशाल खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।
- दक्षिणःबिष्णुपुर, राजबारी मैदान, तालाब/जल निकाय और पेड़-पौधों के विकास के साथ विशाल खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।
- पूर्वः जल-निकाय तथा पेड़-पौधों के विकास के साथ विशाल खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।
- पश्चिमः बिष्णुपुर जिला, तालाब/जल-निकाय और पेड़-पौधों के विकास के साथ विशाल खुले स्थान इस दिशा में विद्यमान हैं।

5.1.4 परिसंचरण के अंर्तनिहित आवृत्त क्षेत्र-सड़क, फुटपाथ आदि:

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित, दोनों सीमाओं में मिट्टी के और पक्की सड़के आस-पास के क्षेत्र में संबद्धता प्रदान करते हुए विद्यमान हैं।

5.1.5 भवनों की ऊँचाई (क्षेत्र-वार):

- उत्तरीःअधिकतम ऊँचाई 12.46 मी. है।
- उत्तर-पूर्वः अधिकतम ऊँचाई 10.34 मी. है।
- दक्षिणः अधिकतम ऊँचाई 9.49 मी. है।
- पूर्वः अधिकतम ऊँचाई 9.4 मी. है।
- पश्चिमः अधिकतम ऊँचाई 11.07 मी. है।

5.1.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध धरोहर भवन प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर उपलब्ध नहीं है। तथापि, बिष्णुपुर किला, जो एक धरोहर - भवन है, स्मारक के पश्चिम में स्थित है, जो कि न तो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है, न ही राज्य संरक्षित है।

5.1.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे कि जलपानगृह, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक से उत्तर में कुछ मीटर की दूरी पर विद्यमान हैं।

5.1.8 स्मारक तक पहुंच:

स्मारक में पश्चिम से राजबारी सड़क (पक्की सड़क) द्वारा सीधे पहुंचा जा सकता है।

5.1.9 अवसंरचनात्मक सेवाएं {(जल आपूर्ति, झंझावात जल निकासी (स्टोर्म वाटर ड्रेनिज), मलजल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि)}:

अवसंरचनात्मक सेवाएं, जैसे कि जल आपूर्ति, झंझावल जल निकासी, जलमल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन स्मारक के संरक्षित क्षेत्र में उपलब्ध हैं। तथापि, पार्किंग स्मारक के बाहर की जा सकती है।

5.1.10 क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

कोई विकास योजना स्थानीय प्राधिकरणों के पास उपलब्ध नहीं है; अतः, निर्धारित क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्रीकरण की पहचान नहीं की जा सकती। कुछ दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

- i. पश्चिम बंगाल नगर (भवन) नियमावली, 2007 I
- ii. कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 ।
- iii. पश्चिम बंगाल धरोहर आयोग अधिनियम, 2001 ।
- iv. कोलकाता नगर निगम भवन नियमावली, 2009 ।

अध्याय VI

स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व

6.0 स्मारक की वास्तुकला, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व:

ऐतिहासिक महत्वः

मंदिर को चैतन्य सिम्हा द्वारा 1758 ई. में बनाया गया था। यह मंदिर बिष्णुपुर में विद्यमान प्राचीन मंदिरों में से सबसे परवर्ती है।

वास्त्कलात्मक महत्वः

मंदिर एक-रत्न प्रकार का है। इसके निर्माण का माध्यम लैटेराइट है। यह लालजी मंदिर के दक्षिण में स्थित है, इसमें बहुत बड़ा आबद्ध प्रागंण है और इसका दक्षिणामुख है। मंदिर, अपने गचकारी प्लस्तरित (स्टुको प्लास्टर्ड) दीवार पर किए गए नक्काशीदार मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एकल शिखर और शीर्ष में लम्बी धारीदार गुम्बद के साथ चौकोर गोल आकार की छत है। साजसज्जा में अरबस्क (अरब शैली) और ज्यामितीय अलंरण, अनंतसाई बिष्णु की एक बड़ी प्रतिमा, कृष्ण-लीला के दृश्यों आदि का अंकन शामिल है।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात् विकासात्मक दबाव, शहरीकरण जनसंख्या दबाव आदि): नगर की जनसंख्या वृद्धि के कारण स्मारक के नजदीक हाल के वर्षों में कई नए निर्माण

कार्यकलाप किए गए हैं। आस-पास के क्षेत्रों में निर्माण कम ऊँचे आवासीय भवनों के रूप में हैं।

6.2 संरक्षित स्मारक अथवा क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से स्मारक की दृश्यता - स्मारक प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र के सभी दिशाओं से कुछ हद तक दिखाई देता है। स्मारक से दृश्यता- पेड़-पौधों के विकास तथा जल निकाय के साथ विशाल खाली मैदान को स्मारक के उत्तर, पूर्व और पश्चिम की ओर देखा जा सकता है। कम ऊँचे आवासीय भवनों को भी देखा जा सकता है।

6.3 भूमि उपयोग की पहचान करना:

स्मारक के पास के क्षेत्र को अधिकांशतः आवासीय, व्यावसायिक, धार्मिक एवं मनोरंजनात्मक प्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है।

6.4 संरक्षित स्मारक के अलावा पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

संरक्षित स्मारक के अलावा, कोई पुरातात्विक धरोहर अवशेष प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर मौजूद नहीं है। तथापि, बिष्णुपुर किला, जो धरोहर संरचना है, स्मारक के पश्चिम में स्थित है जो न तो केन्द्रीय रूप से संरक्षित है, न ही राज्य द्वारा संरक्षित है।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य

बिष्णुप्र स्मारक समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर की अनन्तिम सूची में है।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक भूदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करने में मदद करते हैं।

वायु एवं ध्विन प्रदूषण क्षेत्र में संभवतः बहुत कम हैं। स्मारक के पास पेड़ एवं पेड़-पौधों का विकास शहर से आने वाले पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक को संरक्षित करता है।

6.7 खुले स्थान का उपयोग और निर्माण:

स्मारक के पास के क्षेत्र को अधिकांशतः आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे भिन्न, इसमें कई छोटे-छोटे तालाब/जल निकाय के साथ पेड़-पौधों के विकास के साथ विशाल मैदान हैं। पश्चिम में कुछ मंदिरों एवं किले को देखा जा सकता है।

6.8 पारम्परिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां:

राधा श्याम मंदिर एक जीवन्त (लिविंग) स्मारक है। स्मारक में पूजा/अर्चना हर रोज की जाती है। होली, रास एवं जन्माष्टमी को स्मारक के आस-पास के क्षेत्रों में मनाया जाता हैं

6.9 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

खुले स्थान एवं पेड़-पौधों के विकास के साथ कम ऊँचाई के आवासीय भवनों को देखा जा सकता है।

6.10 पारम्परिक वास्तुकला:

अति आधुनिक निर्माण हाल के वर्षों में देखने में आया है, परन्तु *चाला* किस्म की छत वाले कुछ पारम्परिक बंगाल किस्म की ग्रामीण झोपड़ियां तथा मृत्तिका घर देखे जा सकते हैं, जिन्हें पारम्परिक लोअर बंगाल शैली की वास्तुकला के रूप में जाना जाता है।

6.11 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा-उपलब्ध विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकरणों के पास कोई विकास योजना उपलब्ध नहीं है।

6.12 भवन से संबंधित मापदंड:

(क) स्थल में निर्माण की ऊँचाई (जिसमें छत संरचना जैसे कि ममटी, पैरापैट आदि शामिल हैं):

स्मारक के विनियमित क्षेत्र में सभी भवनों की ऊँचाई 7.0 मी. तक सीमित होगी (सब मिलाकर)।

(ख) तल क्षेत्र अनुपात:

तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) स्थानीय उप-विधियों के अनुसार होगा।

(ग) उपयोगः

स्थानीय भवन उप-विधियों के अनुसार, भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं।

(घ) अग्रभाग की रचना:

अग्रभाग की रचना स्मारक के परिवेश से मिलता-जुलता होना चाहिए।

(ङ) छत का डिजाइनः

निम्नलिखित छत की रचना का पालन किया जाएः

• अर्धगोलाकार रचना में घास-फूस से छाए हुए कच्चा मकान अथवा घर (चाला) चाला छत की चित्रकारी वाले पारम्परिक बंगाली झोपड़ी। चाला छत अर्ध-गोलाई बनावट का होता है, जिसे एक-चाला, दो-चाला और चार-चाला के रूप में जाना जाता है, जिसमें गोलाकार चोटी में मिलने वाले गोलाकार सिरे एवं छजलियां

होती हैं)। बांस और घास-फूस को छत की सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

- मृतिका टाइलयुक्त छत अथवा नलीदार चादर शीट से ढके खपरा अथवा घर।
- पक्के घरों के लिए आधुनिक सामग्री में छत के मिलते-जुलती रचना को प्रयोग किया जा सकता है जो 7 मी. की ऊँचाई तक सीमित हों (सब मिलाकर)
- (च) भवन-निर्माण सामग्रीः पारम्परिक भवन निर्माण सामग्री को प्रयोग किया जाना चाहिए।
- (छ) रंगः स्मारक से मिलते-जुलते हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए।

6.13 आगन्तुक हेतु साधन एवं सुख-सुविधाएं:

आगन्तुक हेतु साधन एवं सुख-सुविधाएं, जैसे कि रोशनी (इल्युमिनेशन), प्रकाश और ध्विन प्रदर्शन, शौचालय, विवेचन-केंद्र, जलपान गृह, पेय जल, स्मारिका दुकान, श्रव्य-दृश्य केंद्र, रैम्प, वाई-फाई एवं ब्रेल सुविधा में जानकारी स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय VII स्थल विशिष्ट संस्तुतियां

7.1 स्थल विशिष्ट संस्तुतियां :

(क) इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक)

सामने के भवन का किनारा, मौजूदा सड़क की सीध में ही होना चाहिए।
 इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सैटबैक) अथवा आंतरिक बरामदों या चब्तरों में न्यूनतम खाली स्थान की अपेक्षा को पूरा किया जाना चाहिए।

(ख) प्रक्षेपण (सप्रोजेक्शं)

• सड़क के 'निर्बाध' रास्ते से आगे भूमि स्तर पर बाधा मुक्त पथ में किसी सीढ़ी या पीठिका (प्लिंथ) की अनुमित नहीं दी जाएगी। सड़कों को मौजूदा भवन के किनारे की रेखा से 'निर्बाध' आयामों से जोड़ा जाएगा।

(ग) संकेतक (साइनेज)

• धरोहर क्षेत्र में साईनेज़ सूचनापट्ट) के लिए एल.ई.डी. अथवा डिजिटल चिहनों) धिक परावर्तक रासायनिक अत्यअथवा किसी अन्य(सिंथेटिक) सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता। बैनर लगाने की अनुमित नहीं दी जा सकती; किंतु विशेष आयोजनों तीन से अधिक दिन तक नहींदि के लिए इन्हेंमेलों आ/लगाया जा सकता है। धरोहर क्षेत्र के भीतर पट विज्ञापन(होर्डिंग), पर्चे के रूप में कोई विज्ञापन अनुमत नहीं होगा।

- संकेतकों को इस तरह रखा जाना चाहिए कि वे किसी भी धरोहर संरचना या स्मारक को देखने में बाधा न आए और पैदल यात्री की ओर उनकी दिशा हो।
- स्मारक की परिधि में फेरीवालों और विक्रेताओं को खड़े होने की अनुमित नहीं दी जाए।

7.2 अन्य संस्तुतियां:

- व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है।
- विनिर्दिष्ट मानकों के अन्सार दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पोलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिसीमाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf में देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CULTURE NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected MonumentRadhashyam Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal, prepared by the Competent Authority are hereby published, as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public,

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at hbl-section@nma.gov.in within thirty days of publication of the notification.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

- (i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws 2021 of Centrally Protected Monument RadhashyamTemple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal.
- (ii) They shall extend to the entire Prohibited and Regulated Area of the monuments.
- (iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions:-

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

- (a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) The remains of an ancient monument,
 - (ii) The site of an ancient monument,
 - (iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
 - (iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument.
- (b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-
 - (i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
 - (ii) The means of access to, and convenient inspection of the area,
- (c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958),
- (d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology,
- (e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act.
- (f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
 - Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E.
- (g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public.

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot,

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area,

- (i) "Government" means The Government of India,
- (j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto,
- (k) "owner" includes-
 - (i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner, and
 - (ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee,
- (l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.
- (m) "Prohibited Area" means any area specified or declared to be a Prohibited Area under section 20A,
- (n) "Protected Area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act,
- (o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act,
- (p) "Regulated Area" means any area specified or declared to be a Regulated Area under section 20B,
- (q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits,
- (r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction,
- (2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2.0 Background of the Act: The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area**, the area beginning at

the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred m in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred m in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and, permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

- **2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:** The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.
- **2.2 Rights and Responsibilities of Applicant:** The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or reconstruction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:
 - (a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.
 - (b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.
 - (c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument – Radhashyam Temple, Locality-Bishnupur, District- Bankura, West Bengal.

3.0 Location and Setting of the Monument:

- The monument is located at Lat: 23°4′20.98″N, Long: 87°19′35.06″E
- The monument lies to the east of Bishnupur in Rajdarbar.
- It can be reached from NH 14 (3.6 km, south) as well as from SH 2 (2.1 km, north).
- Bishnupur Bus Stand and Bishnupur Junction Railway Station are at a distance of 2.2

km and 4.4 km, respectively to the south-west of the monument.

• Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata is the nearest airport at a distance of about 137 km to the east of themonument.




Fig: Orthomosaic showing Location and Setting of Centrally Protected Monument – Radhashyam Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal

3.1 Protected boundary of the Monument:

The protected boundary of the Centrally Protected Monument- Radhashyam Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal may be seen at **Annexure I**.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

This monument was protected in 1913 vide notification no. 4063 dated 18 August, 1913, by the name of Jore Bungla, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal. The Gazette Notification may be seen at **Annexure II**.

3.2 History of the Monument:

The temple was built by Chaitanya Simha(Singha) in 1758 C.E. This temple is the latest of the dated temples in Bishnupur as it is the last temple erected by the Malla Kings. The temple is dedicated to Lord Krishna. Alongside Radha and Shyam (Lord Krishna), the sanctum also includes the images of Nityananda and Chaitanya. Situated to the south

of the Lalji Temple, it stands within a large enclosed court and faces south.

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The temple is of the *eka-ratna* type. The medium of its construction is laterite. The temple is a square building with a curved roof and is crowned by a single tower. There are two dome-like structures with open windows that are placed above the triple-arched gateway. It is reminiscent of a *nahabatkhana*(*naubat khana*), the chamber where the *shehnai* would be played.

The temple is noted for the relief sculptures made on its stucco plastered walls. It consists of a square curved roof structure with a single tower and a fluted dome on top. The decorations include arabesque and geometric patterns, a large figure of *Anantasayi*Vishnu, depiction of Krishna-Leela episodes etc.

3.4 Current Status:

3.4.1 Condition of Monument – condition/ assessment:

The monument is in a good state of preservation.

3.4.2Daily footfalls and occasional gathering/numbers:

The average number of visitors at the site is about 250 persons daily. During peak season from mid of September to mid of February, the number increases to about 700 persons daily.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

The monument lies under the Bishnupur municipality. No zoning has been made in the state government acts and rules for thismonument.

4.1 Existing Guidelines of the local bodies:

It may be seen at **Annexure III**.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Radhashyam Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal:

Survey Plan of Radhashyam Temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal may be seen at **Annexure- IV**.

5.1 Analysis of surveyed data:-

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area in sq m and their salientfeatures

- ProtectedArea (approx.): 1902.02 sq.m. (0.47 acres)
- Prohibited Area (approx.): 4876.46 sq.m. (12.05 acres)
- Regulated Area (approx.): 284858.47 sq.m. (70.39acres)

Salient Features:-

The monument lies to the east of Bishnupur surrounded by water bodies and few other Centrally Protected temples to its north and south in the Prohibited Area. Low rise residential and commercial constructions can be seen on all sides of the Regulated Area. BishnupurFort lies to the west of themonument.

5.1.2 Description of built-uparea:

Prohibited Area:

- North: Buildings and structures used for residential and commercial purposes ranging from 2.73 m to 6.61 m in height, Lalji Temple (Centrally Protected Monument), Hawa Mahal, Raj Bari, Gar Darja Park, Lalji Park, Rajbari Road, New Rajbari Road, public toilet, hand pump, electric pole, light post and open spaces with vegetation growth are present in this direction. This area is used mainly for recreational purposes.
- **South:** Buildings and structures used for residential and commercial purposes ranging from 3.18 m to 9.05 m in height, Jore Bungla Temple (Centrally protected Monument), Mahaprabhu Temple, Rajbari Road, lamp post, electric post and open spaces with vegetationgrowth are present in this direction.
- East: Water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- West: Buildings and structures used for residential and commercial purposes ranging from 0.26 m to 5.78 m in height, Maa Mrinmoyee Temple, hand pump, electric post, lamp post and water body are present in this direction.

Regulated Area:-

• North: Lalji Temple (Centrally Protected Monument), Gate of old Fort (Centrally Protected Monument), Small stone Gateway (ASI protected), Stone Chariot (Centrally Protected Monument), buildings and structures used for

- residential and commercial purposes ranging from 0.91 m to 12.46 m in height, Gar Darja new park, transformer, hand pump, electric post, lamp post, water body and vast open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **South:**Structures used for residential and commercial purposes ranging from 2 m to 9.49 m in height, Gumghar, Rajbari road,Bishnupur, Rajbari ground, electric post, light post, open spaces with vegetation growth and moat/water body are present in this direction.
- South-West:Shyam Rai Temple (Centrally Protected Monument), buildings and structures used for residential and commercial purposes ranging from 2 m to 9.49 m in height, KG Engineering Institute, KG Engineering Institute road, earthen road, water body, transformer, electric pole, light post and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- East: Structures ranging from 2.82 m to 7.68 m in height, earthen road, hand pump, well, light post, electric tower and open spaces with vegetation growth are present in this direction. This area is used mainly for residential purposes.
- West: Structures ranging from 2.29 m to 11.07 m in height, Bishnupur Fort, earthen road, metalled road, electric pole, communication tower, hand pump, transformer, water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.

5.1.3 Description of green/openspaces:

Prohibited Area:

- North: Gar Darja (Gates of the fort) park, Lalji Park, pond/water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **South:** Open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- East: Water body and vast open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- West: Water body and vast open spaces with vegetation growth are present in this direction.

Regulated Area:

- North: Gar Darja new park, Lalji Park, pond/water body and vast open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- **South:** Bishnupur Rajbari Ground, pond/water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- East: Water body and open spaces with vegetation growth are present in this direction.
- West: BishnupurFort, pond/water body and vast open spaces with vegetation growth are present in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths, etc:

In both Prohibited and Regulated limits of the monument, numerous earthen and metalled roads are present providing connectivity in the surrounding area.

5.1.5 Heights of buildings (Zonewise):

- **North:** The maximum height is 12.46m.
- **North-east:** The maximum height is 10.34 m.
- **South:** The maximum height is 9.49 m.
- **East:** The maximum height is 9.4 m.
- **West:** The maximum height is 11.07 m.

5.1.6 State protected monuments and listed heritage buildings by local authorities if available within Prohibited/Regulated Area:

No state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities are available within Prohibited/Regulated Area. However, Bishnupur Fort, a heritage structure is located to the west of the monument, which is neither CentrallyProtected nor state protected.

5.1.7 Public amenities:

Public amenities like cafeteria, public toilet are present few meters away from the monument to the north.

5.1.8 Access to the monument:

The monument is directly accessible from west by Rajbari Road (metalled road).

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parkingetc.):

No infrastructure services like water supply, storm water drainage, sewage, and solid waste management are available in the Protected Area of the monument. However, parking can be done outside the monument.

5.1.10 Proposed zoning of the area:

No development plan is available with the local authorities; hence no proposed zoning can be identified for the given area.

Few guidelines are as per the:

- i. The West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007.
- ii. The Kolkata Municipal Corporation Act, 1980.
- iii. The West Bengal Heritage Commission Act, 2001.
- iv. Kolkata Municipal Corporation Building Rules 2009.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument.

6.0 Architectural, historical and archaeological value of themonument:

Historical value:

The temple was built by Chaitanya Simha in 1758 C.E. This temple is latest of thedated temples in Bishnupur.

Architectural value:

The temple is of the *eka-ratna* type. The medium of its construction is laterite. Situated to the south of the Lalji Temple, it stands within a large enclosed court and faces south. The temple is noted for the relief sculptures made on its stucco plastered wall. It consists of a square curved roof structure with a single tower and a fluted dome on top. The decorations include arabesque and geometric patterns, a large figure of Anantasayin Vishnu, depiction of Krishna-Leela episodesetc.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):-

Many new construction activities have come up in the recent years near the monument, due to an increase in the population of the town. The constructions in the surrounding areas are in the form of low-rise residential buildings.

6.2 Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area:

Visibility from all directions of Prohibited and Regulated Area to the monument- The monument is visible to some extent from all directions of Prohibited and Regulated Area. Visibility from the monument- Vast vacant ground with vegetation growth and water body can be seen towards the north, east and west of the monument. Low rise residential buildings can also be seen.

6.3 Land use to be identified:

The area near the monument is mostly used for residential, commercial, religious and recreational purposes.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No Archaeological heritage remains other than protected monument is present within the Prohibited/Regulated Area. However, Bishnupur Fort, a heritage structure, is located to the west of the monument which is neither CentrallyProtected nor state protected.

6.5 Cultural landscapes:-

Bishnupur Group of Monuments is on the Tentative list of World Heritage of UNESCO.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution:-

Air and noise pollution are probably very less in the area. The trees and vegetation growth near the monument protect the monument from the environmental pollution coming from the town.

6.7 Usage of open space and constructions:

The area near the monument is mostly used for residential and commercial purposes. Apart from this there are vast fields with vegetation growth with many small pond/water bodies. To the west can be seen few temples and a fort.

6.8 Traditional, historical and culturalactivities:

The Radha Shyam Temple is a living monument. Puja/offerings are made every day at the monument. Holi, Raas and Janmashtmi are celebrated at the surrounding areas of the monument.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

Low rise residential buildings with open space and vegetation growth can be seen.

6.10 Traditional architecture:

Most modern constructions have come up in the recent years, but, still few traditional Bengal type rural huts with *chala* type roof and clay houses can be found, known as the traditional lower Bengal style of architecture.

6.11 Development plan as available by the local authorities:

No development plan is available with the local authorities.

6.12 Building related parameters:

- (a) Height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc.): The height of all buildings in the Regulated Area of the monument will be restricted to 7.0 m. (all inclusive).
- **(b) Floor area:** FAR will be as per local bye-laws.
- (c) Usage: As per local building bye-laws with no change in land-use.
- (d) **Façade design:** Façadeshould be matching with the ambience of monument.

(e) Roof Design:

The following roof designs may be followed:

- *Kutcha* or houses thatched with straw in semi-round design (*chala*): traditional Bengali huts portraying the *chala* roof. (The *chala* roof is semi-round pattern commonly known as *ek-chala*, *do-chala* and *char-chala*, with curved edges and cornices meeting at a curved ridge). Bamboo and straw may be used as the roofing material.
- *Khaparaa* or houses covered with clay tiled roofs or corrugated iron sheet.

- For *pukka* houses, the similar design of roof in modern material may be used restricted up to 7m in height (all inclusive).
- **(f) Building material:** Traditional building material may be used.
- (g) Color: Neutral colors matching with the monument may be used.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, light and sound show, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, audio visual centre, ramp, Wi-Fi and information in Braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

a) Setbacks:

• The front building edge shall strictly follow the existing street line. The minimum open space requirements need to be achieved with setbacks or internal courtyards and terraces.

b) Projections:

• No steps and plinths shall be permitted into the right of way at ground level beyond the 'obstruction free' path of the street. The streets shall be provided with the 'obstruction free' path dimensions measuring from the present building edge line.

c) Signages:

- LED or digital signs, plastic fiber glass or any other highly reflective synthetic material may not be used for signage in the heritage area. Banners may not be permitted, but for special events/fair etc. it may not be put up for more than three days. No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.
- Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.
- Hawkers and vendors may not be allowed on the periphery of the monument.

7.2 Other recommendations:

- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.
- National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf.


अनुलग्नक ANNEXURES

अनुलग्नक-I

ANNEXURE - I

राधाश्याम मंदिर, स्थान-बिष्णुपुर, जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल की योजना एवं संरक्षित चारदीवारी

Plan and Protected boundary of Radhashyam Temple, Locality- Bishnupur, District-Bankura, West Bengal.





ANNEXURE – II

एएसआई अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र - संरक्षण सीमाओं की परिभाषा Notification map as per ASI records - definition of Protection Boundaries

मूल अधिसूचना

Original Notification

No. 124.—The 10th January 1914.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904, (VII of 1904), the Governor in Council is pleased to declare the fourteen ancient monuments which are situated in the Vishnupur subdivision of the district of Bankura and are bounded as follows to be protected monuments within the meaning of the said Act:—

(SITUATED WITHIN THE TOWN OF VISHNUPUR.)

2. Radhashyam Temple-

2. Any objections to the issue of this notification which are received by the undersigned within one month from the date on which a copy of the notification is fixed up in a conspicuous place on or near the said monuments. will be taken into consideration.

H. F. SAMMAN, Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 2351.—The 19th June 1914.—The Notification No. 124, dated the 10th January 1914, published in Part I of the Calcutta Gazette of the 14th January 1914, which declared the 14 ancient monuments in the Vishnupur subdivision of the district of Bankura to be protected monuments, is confirmed under section 3 (3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1901), except in the case of the Nanda Lal temple (No. 10).

II. F. SAMMAN, Secy. to the Govt. of Bengal.

स्थानीय निकाय संबंधी दिशानिर्देश

यद्यपि राज्य अधिनियमों/नियमों/धरोहर उप-विधियों /मुख्य योजना/शहर विकास योजना आदि में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए हैं, फिर भी निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों में धरोहर के संबंध में प्रावधान किए गए हैं:

- I. भवनों के निर्माण एवं अन्य संबंधित विषयों के संबंध में दिशानिर्देश पश्चिम बंगाल नगर निगम (भवन) नियमावली, 2007 में विनिर्दिष्ट हैं (ब्यौरे नीचे पैरा 3.2.1 एवं 3.2.3 में दिए गए हैं)
- II. 2001 के पश्चिम बंगाल अधिनियम IX केपश्चिम बंगाल धरोहर आयोग अधिनियम, 2001 में धरोहर भवनों, स्मारकों, पिरक्षेत्रों एवं स्थलों की पहचान करने के प्रयोजनार्थ तथा उनके पुररूद्धार एवं पिरक्षण के लिए उपाय करने हेतु पश्चिम बंगाल राज्य में धरोहर आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। यह सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल पर लागू है। इस अधिनियम के अध्याय-II में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल धरोहर आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित किया जाए।
- नए निर्माण, इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेट बैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात / तल स्थान अनुपात और इनकी ऊंचाई

निर्माण के सामान्य नियम पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन) नियम, 2007 के अनुसार लागू होंगे।

पश्चिम बंगाल नगरपालिका (भवन निर्माण) नियम, 2007 की धारा 9 के भाग ॥ (क) के अनुसार: पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों के भूखंडों का उप-विभाजन हो।

तालिका 1: पहुंच के साधनों की अधिकतम दूरी

क्र.सं.	पहुंच के साधनों की चौड़ाई	एक छोर पर बंद होने वाले पहुंच के साधनों के लिए	दोनों छोर पर खुली सड़क होने वाले पहुंच के साधनों के लिए
1	3.50 मीटर और उससे अधिक लेकिन अधिकतम 7.00 मीटर	25.00 मीटर	75.00 मीटर

क्र.सं.	पहुंच के साधनों की चौड़ाई	एक छोर पर बंद होने वाले पहुंच के साधनों के लिए	दोनों छोर पर खुली सड़क होने वाले पहुंच के साधनों के लिए
2	7.00 मीटर से अधिक लेकिन अधिकतम 10.00 मीटर	50.00 मीटर	150.00 मीटर
3	10.00 मीटर से ऊपर	कोई प्रतिबंध नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं

धारा (45) भाग III केअनुसार, - पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में पहुंच के साधन के नियम।

किसी नए भवन के पहुंच के साधनों की न्यूनतम चौड़ाई निम्नानुसार होगी:

जब तक भूखंड किसी भी भाग में न्यूनतम 10.00 मीटर तक की चौड़ाई वाले किसी सड़क पर नहीं हो या यह भूखंड किसी मार्ग द्वारा ऐसे मार्ग जुड़ा हो जो किसी भाग में न्यूनतम 10.00 मीटर चौड़ा हो।, तब तक उसपर किसी भी नए भवन की अनुमित नहीं दी जाएगी,

तालिका 2: पहुंच के साधनों से संबंधित निषेध

क्र. सं.	श्रेणी	सड़क या मार्ग की चौड़ाई
1.	एक आवासीय भवन जिसमें भवन के कुल तल क्षेत्र का 10% से कम शैक्षिक उपयोग को छोड़कर यदि किसी अन्य उपयोग या अधिभोग में हो।	
2.	एक आवासीय भवन जिसमें भवन के कुल तल क्षेत्र का 10% या उससे अधिक शैक्षिक उपयोग में हो।	
3.	एक शैक्षिक भवन जिसमें लोग रह रहे हों।	यह भवन के किसी भी हिस्से में 7.00 मीटर से कम न हो।
4.	एक शैक्षिक भवन जिसके कुल तल क्षेत्र का 10%	यह भवन किसी भी हिस्से में 9.00

क्र. सं.	श्रेणी	सड़क या मार्ग की चौड़ाई
	से कम आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोग या अधिभोग में हो।	मीटर से कम न हो।
5.	अधिकतम 1000 वर्ग मीटर कुल तल क्षेत्र वाली संस्थागत इमारत जिसमें कुल तल क्षेत्र के 10% से कम अन्य उपयोग में हो।	

धारा (46) के भाग III के अनुसार, -

i. जब एक भूखंड में एक ही इमारत बनानी हो तो, भवन के लिए अधिकतम स्वीकार्य भूमि आवृत्त, भूखंड के आकार और भवन के उपयोग पर निर्भर करेगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 3: अधिकतम अनुमेय भूमि आवृत्त (एकल भवन युक्त भुखंड)

भवन का प्रकार	अधिकतम अनुमेय भूमि आवृत्त
1. आवासीय एवं शैक्षणिक:	
क) 200 वर्ग मी. तक के भूखंड आकार	65%
ख)500 वर्ग मी. से अधिक के भूखंड आकार	50%
2.मिश्रित प्रयोग सहित अन्य प्रयोग	40%.

- ii. 201 से 500 वर्ग मीटर के बीच के किसी भूखंड के लिए, प्रत्यक्ष प्रक्षेप द्वारा आवृत्त के प्रतिशत की गणना की जाएगी।
- i. व्यावसायिक इमारतों (खुदरा) और विधानसभा भवनों के लिए 5000 वर्गमीटर या अधिक के भूखंडों हेतु, कार पार्किंग और निर्माण सेवाओं के लिए 15% की सीमा तक अतिरिक्त भूमि आवृत्त की अनुमति दी जा सकती है। 15% की अतिरिक्त भूमि आवृत्त का उपयोग कार पार्किंग, रैंप, सीढ़ी, ऊपरी स्तर की कार पार्किंग के लिए लिफ्ट और वातानुकूलित संयंत्र कक्ष, जेनरेटर रूम, अग्निशमन उपकरणों, बिजली के उपकरणों के लिए इस 15% के 5% की अधिकतम सीमा को भीतर किया जाए और यह उपयोग अन्य प्रासंगिक भवन नियमों के अनुपालन के अधीन किया जाए।

उक्त अधिनियम की धारा (49) के भाग- III के अनुसार, -पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में भवेनों की अनुमेय ऊंचाई।

तालिका 4: एक भूखंड पर इमारतों की अधिकतम अनुमेय ऊंचाई

क्र. सं.	पहुंच के साधनों की चौड़ाई	अधिकतम अनुमेय ऊंचाई
	(मीटर में)	(मीटर में)
1	2.40 से 3.50 तक	8.00
2	3.50 से 7.00 तक	11.00
3	7.00 से 10.00 तक	14.50
4	10.00 से 15.00 तक	18.00
5	15.00 से 20.00 तक	24.00
6	20.00 से 24.00 तक	36.00
7	24.00 से अधिक	1.5 X (पहुंच के साधनों की चौड़ाई + सामने के खुले स्थान की आवश्यक चौड़ाई)

उपर्युक्त अधिनियम के भाग IV (खुलेस्थान) के अनुसार:

पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में एक भूखंड के भीतर एक इमारत के लिए पार्किंग की जगह का प्रावधान- (धारा 52)

न्यूनतम पार्किंग स्थान:

- 1. कोई भी ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग स्थान इस से कम नहीं होगा-
 - क. 2.2 मीटर के न्यूनतम हेड रूम (ऊपरी जगह) सिहत मोटर कार के लिए पार्किंग का वर्ग मीटर (चौड़ाई 2.5 मीटर और लंबाई 5 मीटर), यदि छादित पार्किंग हो।

ख. 4.75 मीटरके न्यूनतम हेड रूम सिहत बस और ट्रक के लिए पार्किंग 37.5 वर्ग मीटर (चौड़ाई 2.5 मीटर और लंबाई 5 मीटर) हो, यदि छादित पार्किंग हो।

तालिका5 - आम मार्ग से अलग (ऑफ-स्ट्रीट) कार पार्किंग स्थान

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान
I	आवासीय	1) एक कमरे वाला भवन-
		क. 100 वर्ग मीटर से कम तल क्षेत्र वाले एक कमरे के एक इमारत के लिए कार पार्किंग -के लिए कोई स्थान न दिया जाए।
		ख. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तल क्षेत्र वाले एक कमरे के एक इमारत के लिए -एक कार पार्किंग का स्थान दिया जाए।
		ग. 200 वर्ग मीटर से अधिक तल क्षेत्र वाले एक कमरे के एक इमारत के लिए या तल क्षेत्र के अधिक प्रत्येक -200 वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह दी जाए।
		2) कई कमरों वाली इमारत के लिए-
		क. 50 वर्ग मीटर से कम के तल क्षेत्र वाले घर के लिए-
		क. 5 कमरे तक - कार पार्किंग के लिए कोई स्थान न दिया जाए।
		ख.ऐसे 6 कमरों के लिए एक कार पार्किंग की जगह - दी जाए।
		ग. इस तरह के हर 6 अतिरिक्त कमरों के लिए एक अतिरिक्त - कार पार्किंग की जगह दी जाए।
		ख. 50 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 75 वर्ग मीटर से कम तल क्षेत्र वाले कमरों के लिए-
		क. ऐसे 3 कमरों तक के लिए - कार पार्किंग के लिए कोई स्थान न दिया जाए।
		ख. ऐसे 4 कमरों के लिए एक कार पार्किंग की जगह - दी जाए
		ग. इस तरह के प्रत्येक अतिरिक्त 4 कमरों के लिए एक - पार्किंग स्थानअतिरिक्त दिया जाए।
		ग. 75 वर्ग मीटर से अधिक लेकिन 100 वर्ग मीटर से कम तल क्षेत्र
		वाले कमरों में प्रत्येक 2 ऐसे कमरों के लिए एक अतिरिक्त कार
		पार्किंग की जगह दी जाए।
		घ. 100 वर्ग मीटर से अधिक तल क्षेत्र वाले कमरों के लिए -100 वर्ग
		मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह और हर अतिरिक्त 100

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान		
		वर्ग मीटर के लिए एक कार पार्किंग की जगह दी जाए।		
		इ. विभिन्न आकार के कमरों वाली इमारत के लिए - कार पार्किंग की		
		जगह की गणना प्रत्येक आकार-समूह के आधार पर की जाएगी,		
		जहाँ (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत कोई कार पार्किंग स्थान		
		आवश्यक नहीं है, हालाँकि, इमारत के 300 वर्ग मीटर से अधिक		
		के कुल आवृत्त क्षेत्र की जगह लिए कम से कम एक कार पार्किंग		
		स्थल आवश्यक होगा, चाहे उसमें किसी भी आकार के घर हों।		
II.	शैक्षिक	1. प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे 100 वर्ग मीटर तक के		
		तल क्षेत्र के लिए - कार पार्किंग की जगह नहीं दी जाएगी।		
		2. प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे 100 वर्ग मीटर से		
		अधिक लेकिन 400 वर्ग मीटर से कम के तल क्षेत्र के लिए - एक कार		
		पार्किंग की जगह दी जाए।		
		3. प्रशासनिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे 400 वर्ग मीटर से		
		अधिक के तल क्षेत्र के लिए - प्रत्येक 400 वर्ग मीटर के लिए एक कार		
		पार्किंग की जगह दी जाए।		
		4. 1000 वर्ग मीटर से अधिक के कुल कवर क्षेत्र वाले प्रत्येक नए शैक्षिक		
		भवन के लिए, प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के लिए एक बस पार्किंग की		
		जगह की आवश्यकता होगी। यह भवन के लिए आवश्यक कार पार्किंग		
		की जगह के अतिरिक्त होगा।		
III.	संस्थाएं	1) सरकारी और सांविधिक निकायों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संचालित		
		अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों के लिए -		
		i. 20 बेड तक के लिए एक कार पार्किंग स्थान और हर अतिरिक्त 20		
		बेड के लिए एक कार पार्किंग स्थान,		
		ii. प्रत्येक 100 वर्ग मीटर तल क्षेत्र के लिए एक कार पार्किंग की		
		जगह जहाँ बेड उपलब्ध नहीं हैं।		
		2) अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों के लिए जो सरकार,		
		वैधानिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित न हों -प्रत्येक		
		75 वर्ग मीटर तल क्षेत्र में एक कार पार्किंग की जगह बशर्ते अधिकतम		
		500 पार्किंग स्थानों की ही दी जाए।		

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान
IV.	एकत्रण	1) थिएटरों के लिए,चल चित्र गृह, सिटी हॉल, डांस हॉल, स्केटिंग रिंक (
	स्थल	स्केटिंग करने का स्थान), प्रदर्शनी हॉल, टाउन हॉल, ऑडिटोरियम या
	(असेम्बली)	इसी तरह के अन्य हॉल, या ऐसी अन्य जगह-
		i. जहां बैठने की निश्चित व्यवस्था हो- प्रत्येक 10 सीटों के लिए एक
		कार पार्किंग की जगह,
		ii. बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हो - हर 35 वर्ग मीटर तक के तल
		क्षेत्र फल के लिए, एक कार पार्किंग की जगह,
		2) रेस्तरां, खान-पान के होटलों, बार, क्लब, जिम खाना के लिए - 20.0
		वर्ग मीटर के कुल आवृत्त किए गए क्षेत्र तक कोई कार पार्किंग स्थान
		आवश्यक नहीं होगा। 20 वर्ग मीटर से अधिक के तल क्षेत्र फल के
		लिए, हर 35 वर्ग मीटर या उसके बाद का भाग के लिए एक कार
		पार्किंग की जगह आवश्यक होगी।
		3) होटल और बोर्डिंग हाउस के लिए - (i) स्टार होटल के लिए हर दो
		अतिथि कक्ष (गेस्टरूम) के लिए एक कार पार्किंग स्थान आवश्यक
		होगा, (ii) प्रत्येक चार गेस्ट रूम या उसके हिस्से के लिए एक कार
		पार्किंग स्थान अन्य होटल और बोर्डिंग हाउस के लिए आवश्यक होगा,
		(iii) कार पार्किंग क्षेत्र में अतिरिक्त जगह, रेस्तरां, डाइनिंग, हॉल,
		शॉपिंग हॉल, सेमिनार हॉल, बैंक्वेट हॉल और अन्य उद्देश्यों के रूप में
		उपयोग की जाने वाली - प्रत्येक 35 वर्ग मीटर तल क्षेत्र फल या उसके
		भाग के लिए एक कार पार्किंग की जगह आवश्यक होगी।
		4) अन्य समारोह भवनों जैसे कि पूजा स्थल, व्यायाम शाला, खेल
		स्टेडियम, रेलवे या यात्री स्टेशन, हवाई अड्डा टर्मिनल या किसी अन्य
		स्थान पर जहाँ लोग अधिनियम की- धारा 390 की उप-धारा (2) के
		खंड (घ) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार एकत्र होते हैं या इकट्ठा होते हैं-
		यहां महापौर परिषद प्रणाली (मेयर-इन-काउंसिल) द्वारा पार्किंग स्थान
.,		की आवश्यकता निर्धारित की जाएगी।
V.	व्यावसायिक	1) 1500 वर्गमीटर तक के तल क्षेत्र के लिए - प्रत्येक 50 वर्ग मीटर क्षेत्र
		फल के लिए एक कार पार्किंग की जगह। 2) ऊपर दिए गए खंड (1) में तल क्षेत्र के लिए के संदर्भ में आवश्यक कार
		पार्किंग स्थानों की संख्या के अतिरिक्त, 1500 वर्ग मीटर तल क्षेत्र से
		मा गर्ना र नात्ना वर्ग राज्या वर्ग आसार्वरा, १००० वर्ग गाटर राख पान रा

क्र. सं.	उपयोग	कार पार्किंग के लिए आवश्यक स्थान
		परे प्रत्येक 75 वर्गमीटर कार्पेट क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त कार पार्किंग
		स्थान दिया जाए।
		3) 5000 वर्ग मीटर से ऊपर के तल क्षेत्र के लिए - ऊपर खंड (1)
		और (2) में आवश्यक कार पार्किंग के स्थान की संख्या के अलावा,
		5000 वर्ग से अधिक के लिए अतिरिक्त 100 वर्ग मीटर क्षेत्र फल
		में अतिरिक्त एक कार पार्किंग की जगह दी जाए।
VI.	व्यापार	1) 25 वर्ग मीटर क्षेत्र फल तक के लिए- कार पार्किंग की जगह नहीं दी
	(खुदरा)	जाए।
		2) 25 वर्ग मीटर से ऊपर के क्षेत्रफल के लिए - प्रत्येक 35 वर्ग मीटर के
		लिए एक कार पार्किंग की जगह दी जाए।
VII.	औद्योगिक,	1) 200 वर्गमीटर से अधिक के तल क्षेत्र के लिए। - एक कार पार्किंग की
	भंडारण और	जगह,
	व्यापार	2) 200 वर्गमीटर से अधिक के तलक्षेत्र के लिए - प्रत्येक 200 वर्गमीटर के
	(থাক)	लिए एक कार पार्किंग की जगह ।और हर 1000 वर्गमीटर के लिए एक
		ट्रक पार्किंग की जगह बशर्ते न्यूनतम एक ट्रक पार्किंग स्थान दी जाए,
		3) किसी भी स्थिति में आवश्यक कार पार्किंग की जगह 50 से अधिक नहीं
		होगी और आवश्यक ट्रक पार्किंग की जगह 50 से अधिक होगी।

उपर्युक्त अधिनियम के भाग IV (खुले स्थान) के अनुसार:

ऊंचे भवन (ऊंचाई में 14.5 मीटर से अधिक) - (धारा 53) -

- क. नगर पालिका में भवन की ऊंचाई सामान्य रूप से 14.50 मीटर (साढ़े चौदह मीटर) से अधिक नहीं होगी। लेकिन 14.50 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले किसी भवन के मामले में, पार्षदों की परिषद को अधिकार है कि वह लिखित रूप में कारणों को दर्ज किए जाने और नगर निगम अभियांत्रिकी निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के अधीक्षण अभियंता की पूर्व मंजूरी के साथ नगरपालिका क्षेत्र में उन योजनाओं को विशेष मामलों के रूप में अनुमोदित कर सकता है, जो उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत नहीं आते हों।
- ख. साढ़े चौदह मीटर अधिक की हर इमारत के लिए, नीचे दी गई तालिका में तल क्षेत्र अन्पात दिया गया है:

तालिका 6- अधिकतम अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात

पहुंच के साधनों की चौड़ाई	आवासीय भवन	औद्योगिक
---------------------------	------------	----------

(मीटर में)	व्यावसायिक क्षेत्र, यदि हो तो	अन्य क्षेत्र	व्यापार भवन
14.50 से 20.00 तक	2.25	2.50	2.25
20.00 से 24.00 तक	2.50	2.75	2.50
24.00 से अधिक	2.75	3.00	2.75

2. स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध कोई धरोहर उप-विधि/विनियम/दिशानिर्देश

स्थानीय निकायों द्वारा ए.एस.आई स्मारकों के लिए कोई विशिष्ट उपनियम और दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं।

3. खुले स्थान

पश्चिम बंगाल नगर पालिका (भवन निर्माण) नियम, 2007 के भाग IV (खुलेस्थान) के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में निर्माण के लिए खुला स्थान। (धारा 50) -

हर इमारत के बाहरी खुली जगह हो जिसमें सामने का खुला स्थान, पीछे का खुला स्थान और बगल का खुला स्थान शामिल हो।

इमारतों की ऊंचाई और श्रेणी के संबंध में न्यूनतम खुला स्थान निम्नानुसार होगा: -

क. आवासीय उपयोग के लिए:

इमारतों की ऊंचाई	सामने का	बगल 1 का	बगल 2 का	पीछे का खुला
(मीटर में)	खुला स्थान	खुला स्थान	खुला स्थान	स्थान
	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)
8.0 तक	1.2	1.2	1.2	2.0
8.0 - 11.0 तक	1.2	1.2	1.2	3.0
11.0 - 14.5 तक	1.5	1.5	2.5	4.0
14.5 - 18.0 तक	3.5	3.5	3.5	5.0
18.0 - 24.0 तक	5.0	5.0	5.0	7.0

इमारतों की ऊंचाई	सामने का खुला स्थान	बगल 1 का खुला स्थान	बगल 2 का खुला स्थान	पीछे का खुला स्थान
(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)
24.0 - 36.0 तक	6.0	6.5	6.5	9.0
36.0 - 60.0 तक	8.0	8.0	8.0	10.0
60.0 - 80.0 तक	10.0	भवन की ऊंचाई का 15%	भवन की ऊंचाई का 15%	12.0
80.0 से अधिक	12.0	भवन की ऊंचाई का 15%	भवन की ऊंचाई का 15%	14.0
ख. शैक्षिक उपयोग के लिए:				
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर तक का भूमि क्षेत्र)	2.0	1.8	4.0	3.5
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर से अधिक का भूमि क्षेत्र)	3.5	3.5	4.0	4.0
11.0 मीटर से 14.5 मीटर तक	3.5	4.0	4.0	5.0
14.5 मीटर से 21.0 मीटर तक	5.0	5.0	5.0	6.0
21.0 मीटर से अधिक	भवन की ऊंचाई का 20%या 6.0 मीटर, जो भी	भवन की ऊंचाई का 20%या 5.0 मीटर, जो भी अधिक हो	भवन की ऊंचाई का 20%या 5.0 मीटर, जो भी	भवन की ऊंचाई का 20%या 8.0 मीटर, जो भी

इमारतों की ऊंचाई	सामने का	बगल 1 का	बगल 2 का	पीछे का खुला
(मीटर में)	खुला स्थान	खुला स्थान	खुला स्थान	स्थान
	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)
	अधिक हो		अधिक हो	अधिक हो
ग. सांस्थानिक,एकत्रण स्थल २ भवन:	सभाभवन (असेम्ब	ली),व्यवसाय, व्यापा	रिक और मिश्रित	उपयोग के लिए
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर तक का भूमि क्षेत्र)	2.0	1.8	4.0	4.0
11.0 मीटर तक (500.0 वर्ग मीटर से अधिक का भूमि क्षेत्र)	3.0	3.5	4.0	4.0
11.0 मीटर से 18 मीटर तक	4.0	4.0	4.0	5.0
18 मीटर से 24.0 मीटर तक	5.0	5.0	5.0	9.0
24.0 मीटर से 36.0 मीटर तक	6.0	6.5	6.5	9.0
36.0 मीटर से अधिक	8.0	9.0	9.0	10.0
घ. औद्योगिक और भंडारण भवन के लिए:				
11.0 मीटर तक	5.0	4.0	4.0	4.5
11.0 मीटर से 18 मीटर तक	6.0	6.5	6.5	10.0
18.0 मीटर से अधिक	6.0 मीटर या भवन की	6.0 मीटर या भवन की ऊंचाई	6.0 मीटर या भवन की	6.0 मीटर या भवन की

इमारतों की ऊंचाई	सामने का	बगल 1 का	बगल 2 का	पीछे का खुला
(मीटर में)	खुला स्थान	खुला स्थान	खुला स्थान	स्थान
	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)	(मीटर में)
	ऊंचाई का	का 20%, जो	ऊंचाई का	ऊंचाई का
	20%, जो भी	भी अधिक हो	20%, जो भी	20%, जो भी
	अधिक हो		अधिक हो	अधिक हो

ध्यान दें:

- क. अधिकतम 8.0 मीटर तक की ऊंचाई वाला हर आवासीय भवन जिसका भूखंड आकार 65 वर्गमीटर से अधिक न हो, उनमें सामने की तरफ भू तल पर न्यूनतम 0.90 मीटर का स्थान होगा।
- ख. न्यूनतम 65 वर्ग मीटर के भूखंडों के लिए, प्रत्येक दिशा में में 0.9 मीटर की खुली जगह की अनुमति होगी, बशर्ते कि इमारत की ऊंचाई 8.00 (आठ) मीटर से अधिक न हो।
- ग. उप-नियम (2) केखंड (क) में निहित किसी भी मद के अतिरिक्त, हर नई इमारत में मौजूदा ख्ली जगह में दरवाजे या खिड़की के लिए न्यूनतम 1.80 मीटर जगह होगी।
- घ. किसी भी सड़क को अंत में मौजूद भूखंड पर 24.00 मीटर से अधिक गहराई वाली इमारत के मामले में, भवन की पूरी गहराई के साथ एक मार्ग प्रदान किया जाएगा और ऐसे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 4.0 मीटर होगी।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र में आवागमन- सड़क की ऊपरी सतह, पैदल यात्री मार्ग, मोटर-रहित परिवहन, आदि।

उपर्युक्त अधिनियम और नियमों में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर आवाजाही के संबंध में- सड़क की **ऊपरी सतह**, पैदल रास्ते, मोटर- रहित परिवहन, आदि के संबंध में कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालांकि सड़क की चौड़ाई और पहुंच के साधनों के लिए, ऊपरके पैरामें विवरण पहले ही बताए गए हैं। (उपखंड 3.2.1 और 3.2)

5. गलियां (स्ट्रीट स्केप्स), अग्रिभित्ति, (फसाइस तथा नव निर्माण

उपरोक्त अधिनियम और विनियमों में अग्रिभित्ति के बारे में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि गलियां (स्ट्रीट स्केप्स) और नव निर्माण के लिए, विवरण का पहले से ही ऊपर के पैराग्राफों में उल्लेख है। (उपखंड 3.2.1 और 3.2.3)

LOCAL BODIES GUIDELINES

Although there are no specific guidelines framed in the state acts/rules/heritage bye-laws/master plan/city development plan, etc., nevertheless provisions are made regarding the heritage in the following acts/rules:

- I. The guidelines for the constructions of the buildings and other related topic are specified in the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007 (the details are given below in para 3.2.1. &3.2.3.).
- II. In West Bengal Heritage Commission Act, 2001 of the West Bengal Act IX of 2001, a provision is made for the establishment of a Heritage Commission in the State of West Bengal for the purpose of identifying heritage buildings, monuments, precincts and sites and for measures for their restoration and preservation. It extends to the whole of West Bengal.InchapterIIofthisact-itisclearlymentionedtoestablishaCommission by the name of the West Bengal Heritage Commission.

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and Heights with the Regulated Area for new construction, SetBacks

The general rules of construction shall be applicable as per the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007.

As per part II (A), section 9 of the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007: Subdivision of plots in areas other than municipalities in hill areas.

Sl. No.	Width of means of access	For means of access closed at one end	For means of access open to street at both ends
1	3.50 meters and abovebut not more than 7.00meters	25.00 meters	75.00 meters
2	Above 7.00 meters but not more than 10.00 meters	50.00 meters	150.00 meters
3	Above 10.00 meters	No restriction	No restriction

Table 1: Maximum length of the means of access

As per part III, section (45) - Rules for means of access in areas other than the Municipalities in hill areas.

The minimum width of means of access in respect of a new building shall be as follows: No new building shall be allowed on a plot unless the plot abuts a street which is not less than 10.00 meters in width at any part, or there is access to the plot from any such street by a passage which is not less than 10.00 meters in width at any part.

Table 2: Prohibition concerning means of access

Sl. No.	Category	Width of street or passage
1.	A residential building with other occupancy or occupancies if any except educational occupancy, of less than 10% of the total floor area of the building.	Shall not be less than 2.4 m. at any part.
2.	A residential building with educational occupancy of 10% or more of the total floor area of the building.	Shall not be less than 7.00 m. at any part.
3.	An educational building with residential occupancy.	Shall not be less than 7.00 m. at any part.
4.	An educational building with other occupancy or occupancies not being residential if any, of less than 10% of the total floor area of thebuilding	Shall not be less than 9.0 m. at any part.
5.	Institutional building of total floor area not more than 1000 sq. m. with other occupancies of less than 10% of total floorarea	Shall not be less than 7 m. at any part.

As per part III, section (46) –

i. The maximum permissible ground coverage for building, when a plot contains a single building, shall depend on the plot size and the use of the building as given in the tablebelow:

Table 3: Maximum permissible Ground Coverage (Plot containing a single building)

Type of building.	Maximum permissible ground coverage.
1. Residential and educational: ग) Plot size up to 200 sq.meters	65%
ਬ) Plot size of above 500 sq.meters,	50%
2. Other uses including mixed use	40%.

- ii. For any other size of the plot, in between the plot size of 201 to 500 square meters, the percentage of coverage shall be calculated by direct interpolation.
- iii. For mercantile buildings (retail) and assembly buildings on plots measuring 5000 sqm. or more, the additional ground coverage to the extent of 15% may be allowed for car parking and building services. The additional ground coverage of 15% will be exclusively utilized for car parking, ramps, staircase, lift for upper level car parking and for building services such as Air Conditioned plant room, generator room, fire fighting equipments, electrical equipments not exceeding 5% out of such 15% shall be used, subject to compliance of other relevant buildingrules.

As per part III, section (49) of the said act – *Permissible height of buildings in areas other than municipalities in hill areas.*

Table 4: The maximum permissible height of buildings on a plot.

Sl. No.	Width of means of access (in meters).	Maximum permissible height (in meters).
1	2.40 to 3.50	8.00
2	Above 3.50 to 7.00	11.00
3	Above 7.00 to 10.00	14.50
4	Above 10.00 to 15.00	18.00
5	Above 15.00 to 20.00	24.00
6	Above 20.00 to 24.00	36.00
7	Above 24.00	1.5 X (width of the means of access + required width of front open space).

As per part IV (open spaces) of the above mentioned act:

Provision of parking space for a building within a plot in the areas other than municipalities in hill areas- (Section 52).

Minimum Parking Space:

- 1. No off-street parking space shall be lessthan
 - a. square meters (2.5 meters in width and 5 meters in length) for a motor car with a minimum head room of 2.2 meters if parked in a covered area,
 - b. 37.5 square meters (3.75 meters in width and 10 meters in length) for a truck and bus with a minimum head room of 4.75 meters if parked in a coveredarea.

Table 5 - Off-street Car Packing Space

SI. No.	Occupancy	Car Parking Space Requirement	
I.	Residential	1) Building with single tenement—	
		a For a building having one tenement of less than 100sq.	
		m. in floor area - no car parking space,	
		b For a building having a tenement of 100 sq. m. or more	
		but less than 200 sq. m. of floor area - one car parking	
		space,	
		c For a building having one tenement of 200 sq. m. or more	
		of floor area - one car parking space for every 200 sq.m.	
		2) Buildings with multiple tenements-	
		ATenement with less than 50 sq. m. of floor area-	
		aUp to 5 such tenements - no car parkingspace,	
		bFor 6 such tenements - one car parkingspace,	
		cFor every additional 6 of such tenements - one	
		additional car parkingspace.	
		A. Tenement with more than 50 sq. m. but less than 75 sq.	

		1
		m. of floorarea-
		aUp to 3 such tenements - no parkingspace,
		bFor 4 such tenements - one car parkingspace,
		c For every additional 4 of such tenements - one
		additional parkingspace.
		CTenement with more than 75 sq. m. but less than 100 sq.
		m. for every two such tenement additional one car
		parkingspace.
		DTenementwithmorethan100sq.m.floorarea—onecar parking
		space for 100 sq. m. and one car parking space for every
		additional 100 sq. m.
		ETenements of different sizes in a building - Car parking
		space shall be calculated on the basis of each size-group,
		where no car parking space is necessary under (A), (B), (C)
		and (D) so, however, that at least one car parking space
		shall be necessary for more
		than300sq.m.ofthetotalcoveredareainthebuilding
		irrespective of number of sizes of tenements.
II.	Educational	1) For floor area up to 100 sq. m. used for administrative
		purpose - no car parkingspace,
		2) For floor area of more than 100 sq. m. but less than 400 sq.
		m. used for administrative purpose - one car parking space,
		3) For floor area of 400 sq. m. and above used for
		administrative purpose - one car parking space for every
		400 sq.m.
		4) For every new educational building having total covered
		area of more than 1000 sq. m., one bus parking space for
		every 1000 sq. m. shall be required. This shall bein
***	T 1	addition to the car parking space required for the building.
III.	Institutional	1) For hospitals and other health care institutions run by
		Government, statutory bodies or local authorities—
		i. one car parking space up to 20 beds and one car parking
		space for every additional 20beds,
		ii. One car parking space for every 100 sq. m. of floor area
		where beds are notprovided.
		2) For hospitals and other health care institutions not run by
		the Government, statutory bodies or local authorities - one
		car parking space for every 75 sq. m. of floor area, subject
IV.	Aggamble	to a maximum of 500 parking spaces.
1 V.	Assembly	1) For theatres, motion picture houses, city halls, dance halls,
		skating ring, exhibition halls, town halls, auditorium or
		similar other halls, or such other places—
		i. having fixed seating arrangement - one car parking space for every 10seats,
		ii. having no fixed seating arrangements - far every 35sq.
		m. of carpet area, one car parking space,
		2) For restaurant, eating houses, bars, clubs, gym khana - no
		car parking space shall be necessary up to a total covered area of 20.0 sq. m. For carpet area of more than 20 sq. m.
		one car parking space for every 35 sq. m. or part thereof
		shall benecessary.
		Shan uthetessary.

		 3) For hotels and boarding houses - (i) one car parking space for every two guest rooms shall be necessary for star hotels, (ii) One car parking space for every fourguest rooms or part thereof shall be necessary for other hotelsand boarding houses. (iii) Additional car parking space for areas, to be used as restaurant, dinning, hall, shopping halls, seminar halls, banquet halls and other purposes – one car parking space for every 35 sq. m. of carpet area or part thereof shall be necessary, 4) For other assembly buildings like place of worship, gymnasium sports stadium, railway or by passenger station, airport terminal or any other places where people congregate or gather for the purpose as specified inclause (d) of sub section (2) of section 390 - of the Act -
		requirementofparkingspaceshallbedeterminedbythe Mayor-in-Council.
V.	Business	 For floor area up to 1500 sq. m one car parking space for every 50 sq. m. of carpetarea. For floor area in additional to the number of ear parking spaces as required in terms of clause (1) above, additional one car parking space for every 75 sq m. of carpet area beyond 1500 sq. m. of floorarea, For floor area above 5000 sq. m - in addition to the number of car parking spaces required in clause(1) and (2) above, additional one car parking space for every 100 sq.m of carpet area beyond 5000 sq.m.
VI.	Mercantile (Retail)	 For carpet area lip to 25 sq. m no car parkingspace. For carpet area above 25 sq. m one car parking space for every 35 sq.m.
VII.	Industrial, Storage and Mercantile (Wholesale)	 For floor area above 200 sq. m one car parkingspace, For floor area above 200 sq. m one car parking space for every 200 sq.m. and one truck parking space for every 1000 sq. m. subject to a minimum of one truck parking space, Innocasetherequiredcarparkingspaceshallexceed50 and the required truck parking space shall exceed 50.

As per part IV (open spaces) of the above mentioned act:

Tall building (exceeding fourteen and a half meters in height)- (Section 53)-

- a. In Municipality the building height shall not normally be more than 14.50 meters (fourteen and a half meters). But in the case of any building exceeding 14.50 meters in height, the Board of Councillors, for reasons to be recorded in writing and with the previous approval of the Superintending Engineer of the Municipal Engineering Directorate, Government of West Bengal, having jurisdiction over the concerned municipal area may sanction those schemes as special cases if not otherwise covered by any law for the time being inforce.
- b. For every building exceeding fourteen meters and a half, the Floor Area Ratio shall be as specified in the tablebelow:

Table 6- Maximum Permissible Floor Area Ratios

Width of means of	Residential build	Industrial business	
access (meters)	Commercial zone, if any	Other zone	building
Above 14.50 to 20.00	2.25	2.50	2.25
Above 20.00 to 24.00	2.50	2.75	2.50
Above 24.00	2.75	3.00	2.75

2. Heritage byelaws/ regulations/ guidelines if any available with local bodies

No specific bye-laws and guidelines are framed for the ASI monuments by the local bodies.

3. Openspaces

As per part IV (open spaces) of the West Bengal Municipal (Building) Rules, 2007

Open spaces for building in areas other than municipalities in hill areas. (Section 50) –

Every building shall have exterior open spaces comprising front open space, rear open space and side open spaces.

The minimum open spaces with respect to height and Category of buildings shall be as follows:-

a. For residentialuse:

Height of building	Front open	Open space	Open space	Rear open
(in meter)	space	on side 1	on side 2	Space
	(in meter)	(in meter)	(in meter)	(in meter)
Up to 8.0	1.2	1.2	1.2	2.0
Above 8.0 –up to	1.2	1.2	1.2	3.0
11.0				
Above 11.0 –up to	1.5	1.5	2.5	4.0
14.5				
Above 14.5 –up to	3.5	3.5	3.5	5.0
18.0				
Above 18.0 - up to	5.0	5.0	5.0	7.0
24.0				
Above 24.0 - up to	6.0	6.5	6.5	9.0
36.0				
Above 36.0 - up to	8.0	8.0	8.0	10.0
60.0				
Above 60.0 - up to		15% of the	15% of the	
80.0	10.0	ight of the	height of the	12.0
		building	building	
		15% of the	15% of the	
Above 80.0	12.0	height of the	height of the	14.0
		building	building	

b. For Educationaluse:

Height of Building	Front Open Space (in meter)	Open Space on side 1 (in meter)	Open Space on side 2 (in meter)	Rear Open Space (in meter)
Up to 11.0 meter (land area up to 500.0 square meter)	2.0	1.8	4.0	3.5
Up to 11.0 meter (land area above 500.0 square meter)	3.5	3.5	4.0	4.0
Above 11.0 meter up to 14.5 meter	3.5	4.0	4.0	5.0
Above 14.5 meter up to 21.0 meter	5.0	5.0	5.0	6.0
Above 21.0 meter	20% of the height of the building or 6.0 M, whichever is more	20% of the height of the building or 5.0 M, whichever is more	20% of the height of the building or 5.0 M, whichever is more	20% of the height of the buildingor 8.0 M, whichever is more

c. ForInstitutional, Assembly,Business,MercantileandMixeduse Building:

Height of Building	Front Open Space (in meter)	Open Space on side1 (inmeter)	Open Space on side2 (inmeter)	Rear Open Space (in meter)
Up to 11.0 meter (land area up to 500.0 sq meter)	2.0	1.8	4.0	4.0
Up to 11.0 meter (land areaabove 500.0 sqmeter)	3.0	3.5	4.0	4.0
Above 11.0 meter up to 18 meter	4.0	4.0	4.0	5.0
Above 18.0 meter up to 24.0 meter	5.0	5.0	5.0	9.0
Above 24.0 meter up to 36.0 meter	6.0	6.5	6.5	9.0
Above 36.0 meter	8.0	9.0	9.0	10.0

d. For Industrial and StorageBuilding:

Height of Building	Front Open	Open Space	Open Space	Rear Open
	Space	on side 1	on side 2	Space
	(in meter)	(in meter)	(in meter)	(in meter)
Up to 11.0 M	5.0	4.0	4.0	4.5

Above 11.0M	6.0	6.5	6.5	10.0
up to 18.0 M				
Above 18.0 M	6.0 or 20% of the height of the building	6.0 or 20% of the height of the building	6.0 or 20% of the height of the building	6.0 or 20% of the height of the building
	whichever is more	whichever is more	whichever is more	whichever is more

Note:

- a. Every residential building of height not more than 8.0 m on plot size not exceeding 65 sq. m in area shall have a minimum front space at ground level of 0.90m.
- b. For plots of size not more than 65 sq. meters, minimum side open space of 0.9 meters may be allowed on each side, provided that the building height does not exceed 8.00 (eight)meters,
- c. Notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-rule (2), the minimum distance across the side open space from every new building to an existing building with a door or window opening shall be 1.80meters,
- d. In the case of a building more than 24.00 meters in depth on a plot abutting any street, a passage along the entire depth of the building shall be provided and the minimum width of such passage shall be 4.0meters.

4. Mobility with the Prohibited and Regulated Area- road surfacing, pedestrian ways, non-motorised transport, etc.

No specific guidelines are made in the above said act and regulations regarding mobility within the Prohibited and Regulated Area- roads facing, pedestrian ways, non-motorised transport, etc. However for road widths and means of access, the details are already stated in the above paras (sub- section 3.2.1. and 3.2).


5. Streetscapes, facades and newconstruction.

There is no specific account made in the above said act and regulations regarding facades. However for streetscape and new construction, the details are already stated in the above paras (sub- section 3.2.1. and 3.2.3.).

अनुलग्नक-IV

ANNEXURE -IV


राधाश्याम मंदिर- स्थान-बिष्णुपुर- जिला-बांकुरा, पश्चिम बंगाल हेतु सर्वेक्षण योजना Survey plan for Radhashyam temple, Locality- Bishnupur, District- Bankura, West Bengal



अनुलग्नक-V

ANNEXURE -V

स्मारक का चित्र और स्मारक के आस-पास का क्षेत्र IMAGES OF THE MONUMENT AND THE AREA SURROUNDING THE MONUMENT



चित्र 1, स्मारक का दृश्य Figure 1, View of the monument